तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **तुलछाराम वगैरह बनाम जालमसिंह वगैरह मुकदमा संख्या:— 269 / 2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
05.11.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद बिजरोल खेडा में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 361 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा संख्या 366 रकबा 2.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 368 रकबा 2.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.97 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसमें 1 / 2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 व 1 / 2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 भूतपूर्व जागीरदार है जो बड़े धनबल व खुंखार व्यक्ति है जिन्होंने एक नाजयज गिरोह बना रखा है जो हर समय प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते है तथा जबरन खेत हड़पना चाहते है जबकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी व सहज शांतिपूर्ण कब्जा काश्त पीढीयों की आई हुई है जिसमें वर्षों पुरानी ढाणीयें भी बनी हुई है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कोई हकहकूक न तो था व न है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण एक नाजायज गिरोह के साथ धारीयां, लाठीयां, बन्दुकों से सृजित होकर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 366 में 365 की उतरी माठ को तोड़कर अपने खेत में मिलाने की चेष्ठा कर खेत को जबरन हड़प करना चाहते है तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त खेत में शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा करते रहते है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की मालिकाना कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है जिसमें प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा मौके पर आराजी पर कब्जा प्रार्थीगण का है तथा रहवासीय ढाणीयां बनी हुई है। शांतिपूर्ण खेतीबाड़ी करते आ रहे है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी भूमि की स्थित माठों को तोड़कर अपने खेत में मिलाकर जबरन अवैध रूप से हमें बेदखल कर कब्जा कर लेते है तथा हमारे द्वारा की जा रही खेतीबाड़ी करने से रोक कर पक्का निर्माण कर अपने पक्ष में साक्ष्य जुटा लेते है तो प्रार्थीगण को अपुरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई दृव्यों में संभव नहीं है इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी तीनों स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना–पत्र मनगंढत सारहीन व आधारहीन होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:— आदेश :—** अतः प्रार्थीगण के पक्ष में त[illegible] अप्रार्थीगण के [illegible] मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अ[illegible] निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या [illegible] 3 प्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण को काश्त करने से नहीं रोकें तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण आदि न[illegible] करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रमोद कुमार, आर.ए.एस) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–सांचौर सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:17:36 IST
Reason: SelfAttested